

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय-वल्लभ भवन-भोपाल-462004

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक 06 जुलाई, 2017

क्रमांक एफ-31-3/2015/सत्ताईस-एक-इस विभाग के आदेश क्रमांक 377/148/2015/सत्ताईस-एक दिनांक 30.01.2015 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 328/2002 में प्रस्तुत आई.ए. 40-45/2014 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2015 एवं 16.01.2015 के अनुपालन में सरदार सरोवर परियोजना हेतु गठित शिकायत निवारण प्राधिकरण के पाँच बेंचों का गठन किया गया है।

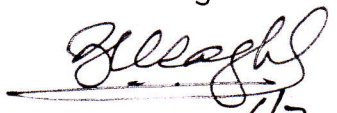
2/- उक्त बेंचों की सहायता करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिपालन में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.04.2015 द्वारा निम्नलिखित चार सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन माह अथवा प्रकरणों के निराकरण होने तक (जो भी पहले हो), संविदा पर नियुक्ति प्रदान की गई थी एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 03.02.2015 द्वारा इनकी संविदा नियुक्ति अवधि में दिनांक 17.07.2015 से छः माह अथवा प्रकरणों के निराकरण होने तक (जो भी पहले हो) की वृद्धि की गई। समसंख्यक आदेश दिनांक 03.02.2016 द्वारा इनकी संविदा नियुक्ति अवधि में दिनांक 16.01.2016 से दिनांक 30.06.2016, आदेश दिनांक 15.07.2016 द्वारा दिनांक 30.06.2016 से 31.12.2016 तथा आदेश दिनांक 10.01.2017 द्वारा दिनांक 31.12.2016 से छः माह तक की संविदा नियुक्ति अवधि में पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन वृद्धि की गई है :-

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| (1) श्री आर.के.गोस्वामी | - | सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश |
| (2) श्री जसवंत सिंह क्षत्रिय | - | सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश |
| (3) श्री एन.के.पोरवाल | - | सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश |
| (4) सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी | - | सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश |

3/- राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त न्यायाधीशों की संविदा नियुक्ति अवधि में पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन दिनांक 30.06.2017 से छः माह की वृद्धि करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(एस.के.बघेल) 6/7

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 06 जुलाई, 2017

पृ.क्रमांक एफ 31-3/2015/सत्ताईस-एक
प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, शिकायत निवारण प्राधिकरण, सरदार सरोवर परियोजना भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव (वित्त) विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।